

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक/कार्मिक
गोरखपुर
दिनांक 14.12.2022

सं. NER-HQ0PERS(SELB)/6/2022-DY CPO/GAZ/HQ/NER (76896)

1. महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, लालबाग, बडोदरा।
2. अपर महाप्रबन्धक/वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/सचिव/महाप्रबन्धक/गोरखपुर।
3. प्रमुखसिद्धई/मुख्यसिद्धई/मुख्यसिद्धई/मुख्यसिद्धई/प्रोजेक्ट/मुख्य संचार इंजी0/मुप्राधि/निर्माण मुखिसिद्धई/निर्माण गोरखपुर।
4. मंत्रेप्र/वमंकाधि/वमंसिद्धई/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
5. मुकाप्र/सिग0कार/मंसिद्धई/टेली/मंसिद्धई/टेली/निर्माण/वकाधि/निर्माण/गोरखपुर।
6. वमंसिद्धई/मुख्या0/मंसिद्धई/निर्माण/ससिद्धई/सहायक सतर्कता अधिकारी/गोरखपुर।
7. महाप्रबन्धक/प्रमुकाधि/मुख्यसिद्धई/आरई/इलाहाबाद एवं रेल कोच फैक्ट्री/कपूरथला।
8. महानिदेशक/आरडीएसओ/लखनऊ एवं महानिदेशक/ईरीसेट/सिकन्दराबाद।
9. चीफ प्रोजेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर/आईआरसीओटी/नई दिल्ली।
10. महाप्रबन्धक/बीएलडब्लू/वाराणसी एवं इरकान/नई दिल्ली।
11. एमडी/रेल टेल/100 फ्लोर बैंक आफ बडोदरा बिल्डिंग, 16 संसद मार्ग नई दिल्ली-110001।
12. सीएओआईआरपी एमक्यू/इरकाट कम्प्लेक्स शंकर मार्केट के पीछे, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली।
13. सचिव/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली एवं निदेशक/सतर्कता/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
14. उपमुकाधि/मुख्यालय/गोरखपुर, प्रिसिपल/एसटीसी/गोरखपुर।
15. अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/गोरखपुर एवं अध्यक्ष/आरआरसी/गोरखपुर।
16. रेलवे वेबसाईट प्रति।

विषय:— सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के ससिद्धई (ग्रुप-बी) 30प्रतिशत (एल डी सी ई) कोटा के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— इस कार्यालय का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.07.2022 एवं 30.08.2022।

सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के ससिद्धई, ग्रुप-बी, 30 प्रतिशत कोटा (संरक्षा कोटि) के **02 (दो)** अनारक्षित पदों के विरुद्ध चयन की लिखित परीक्षा CBT Mode से NAIR द्वारा दिनांक 20.11.2022 को तथा मौखिक परीक्षा दिनांक-14.12.2022 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा ससिद्धई, ग्रुप-बी, 30 प्रतिशत कोटा के रिक्ति के विरुद्ध अनन्तिम नामिका में रखने हेतु योग्य पाये गये है :-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम एवं कार्यस्थल	चयन समुदाय
1	श्री राणा आदित्य प्रताप सिंह	जे0ई/मुख्या0/गोरखपुर।	अनारक्षित
2	श्री बीरेन्द्र सिंह वोनल (अजजा)	सीसेई/ड्राइंग/कान0/ गोरखपुर।	अनारक्षित
केवल- 02 नाम मात्र।			

उपरोक्त अनन्तिम नामिका मेरिट क्रमांक के अनुसार है।

नोट:— रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2018/E (SCT)1/25/9 dt.22.06.2022 में निहित निर्देशों के आलोक में उपरोक्त नामिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर श्री जरनैल सिंह बैच के मामले में जारी अन्तिम आदेश के अध्ययधीन होगी।

उपरोक्त अनन्तिम नामिका महाप्रबन्धक महोदय द्वारा दिनांक 14.12.2022 को अनुमोदित है।

सम्बन्धित कर्मचारी को तदनुसार सूचित कर दिया जाय।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज0
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक